(5)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 12/2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. यकुल गुप्ता (मालिक/विक्रेता) पुत्र राजेश कुमार गुप्ता मैसर्स प्रदीप प्रोवीजन एण्ड किराना स्टोर चौबुर्जा बाजार भरतपुर निवासी चौबुर्जा बाजार भरतपुर।
2. नरेन्द्र कुमार गर्ग (मालिक/विक्रेता) पुत्र जगदीश प्रसाद मैसर्स जगदीश प्रसाद नरेन्द्र कुमार गोलबाग रोड मथुरा गेट भरतपुर निवासी 58 जवाहर नगर भरतपुर।
3. आशीष प्रसाद अग्रवाल सहायक जनरल मैनेजर (नोमिनी) मैसर्स विजय सोल्वस लिमिटेड रजि0 ऑफिस भगवती सदन स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर राज0।
4. मैसर्स विजय सोल्वस लिमिटेड रजि0 ऑफिस भगवती सदन स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर राज0।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल श्री अश्विनी गोयल एड0

निर्णय

दिनांक : 09.04.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 11.03.2026 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 09.04.2026 को गैरसायलान प्रतिनिधि उपस्थित व समस्त ने जबाब पेश किया संलग्न मिसिल है। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 04.06.2025 को दोपहर 12.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स प्रदीप प्रोवीजन एण्ड किराना स्टोर चौबुर्जा बाजार भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

(5)

हेतु दुकान में रखे हुये शोकेस में 1–1 लीटर के लगभग 50 पाउच **वनस्पति (स्कूटर)** रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/619/एक्ट/2025/639 दिनांक 13.06.2025 द्वारा उक्त **वनस्पति (स्कूटर)** का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का **वनस्पति (स्कूटर)** विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स प्रदीप प्रोवीजन एण्ड किराना स्टोर चौबुर्जा बाजार भरतपुर से **वनस्पति (स्कूटर)** की जांच हेतु नमूना लिया गया है जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता व निर्मता को एफएसएसए के नियम 46(4) का नोटिस दिया गया है और उनके द्वारा धारा 46 की उपधारा 4 के अधीन किये गये उपबन्ध के अनुसार अपील निर्दिष्ट प्रयोगशाला में पुनः जांच का अधिकार नही दिया है जिससे नमूने की जांच की अखंण्डता को सिद्व करने का अवसर गैरसायलान को नही दिया गया है। इससे उसके अधिकारो का हनन हुआ है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे तथा आवेदन को खारिज किये जाने का प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। गैरसायलान द्वारा उठाये गये कथन कि उनको निर्दिष्ट प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु अवसर नही दिया है, इस सबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि गैरसायल संख्या 01 को पत्रांक 265 दिनांक 20.06.2025 से जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय जांच रिपोर्ट के सूचित किया गया था किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। इससे यह जाहिर होता है कि उक्त जांच के सबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु गैरसायल को सूचित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। दौराने सुनवाई गैरसायलान द्वारा कथन को स्वीकार किया कि दिनांक 04.06.2025 को दोपहर 12.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स प्रदीप प्रोवीजन एण्ड किंराना स्टोर चौबुर्जा बाजार भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में दुकान में रखे हुये शोकेस में 1–1 लीटर के लगभग 50 पाउच **वनस्पति (स्कूटर)** रखा हुआ पाया गया खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/619/एक्ट/2025/639 दिनांक 13.06.2025 द्वारा उक्त **वनस्पति (स्कूटर)** का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

(5)

नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायलान को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल संख्या 1 व 2 को 15000/– तथा गैरसायल संख्या 3 व 4 को 30,000/– कुल राशि 45,000/–रूपये (पैतालीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)